



M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎ 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

क्रमांक : मुख्या / विपणन / PPE - 54 / 2024-25 / 3140

दिनांक : 04.12.2024

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : निगम द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए ISI MARKED/TESTED PLANT PROTECTION EQUIPMENTS, ISI MARKED FERTILIZER BROADCASTER & HAND ROTARY DUSTER की दरों के प्रसारण के संबंध में।

संदर्भ : मुख्यालय द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए जारी आर.सी.ओ. दिनांक 30.09.2025

निगम के माध्यम से वर्ष 2024-25 के लिए ISI MARKED/TESTED PLANT PROTECTION EQUIPMENTS, ISI MARKED FERTILIZER BROADCASTER & HAND ROTARY DUSTER (PPE) के व्यवसाय हेतु लिए ऑन-लाईन रेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफर आमंत्रित कर दरें चाही गयी थी। आर.सी.ओ. में भाग लेते हुए जिन निर्माताओं द्वारा निगम के साथ एल-1 दरों पर अनुबंध निष्पादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की कय-विकय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :-

M/S PADGILWAR AGRO INDUSTRIES, (BRAND : PADGILWAR)
OPP. AGYARAM DEVI MANDIR, BUS STAND ROAD, GANESHPETH, NAGPUR - 440018
CONTACT PERSON : SHRI TUSHAR PADGILWAR MOBILE : 9823052421

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 12%	TOTAL PUR - CHASE PRICE	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5%	GST @ 12%	FINAL SELLING PRICE
01	Battery Operated Knapsack Sprayer (TESTED) (Battery Power 12V - 12AH) Tank Cap. 16 to 20 Ltr.	2411	289	2700	2411	121	304	2835
02	Battery Cum Hand Operated Knapsack Sprayer (TESTED) (Battery Power 12V-12AH) Tank Cap.16 to 20 Ltr.	2634	316	2950	2634	132	332	3098
03	DOUBLE MOTOR Battery Operated Knapsack Sprayer (TESTED) (Battery Power 12V-14AH) Tank Cap.16 to 20 Ltr.	3214	386	3600	3214	161	405	3780
04	DOUBLE MOTOR Battery Cum Hand Operated Knapsack Sprayer (TESTED) (Battery Power 12V-14AH) Tank Cap. 16 to 20 Ltr.	3571	429	4000	3571	179	450	4199
05	Tested Power Operated Plant Protection Equipment Fitted with 2 Stroke Engine Tank Capacity 20-25 Ltr	6875	825	7700	6875	344	866	8085
06	Tested Power Operated Plant Protection Equipment Fitted with 4 Stroke Engine Tank Capacity 20-25 Ltr	8200	984	9184	8200	410	1033	9643

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :-

- दरें एवं प्रभावशीलता** : उपरोक्त कय एवं विकय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम पत्र प्रसारण की दिनांक 04.12.2024 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 03.03.2025) तक लागू रहेंगी।
- शासकीय अनुदान** : परिपत्र में दर्शाई गयी सामग्रियों पर शासकीय अनुदान संबंधित विभाग की योजनाओं के दिशा-निर्देशों के अनुसार देय होगा। अनुदान संबंधी निर्णय संबंधित विभाग का है, इसमें निगम की कोई भूमिका नहीं होगी।

....2

3. **आदेश प्रक्रिया :** जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अघोषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन-लाइन" रेट कांट्रैक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार निम्नानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे :-
 - (अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्त, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTIN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।
 - (ब) प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।
 - (स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरुद्ध है।
4. **सामग्री की गुणवत्ता :**
 - (अ) आई.एस.आई. मार्क स्प्रेयर के संबंध में जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि समस्त मात्रा पर आई.एस.आई. मार्क होने संबंधी एम्बोसमेंट यंत्र पर है तथा पैकिंग पर आई.एस.आई. मार्क संबंधी संपूर्ण सूचना अंकित की गयी है। टेस्टेड स्प्रेयर के संबंध में जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदाय किये जा रहे यंत्र निगम द्वारा अनुमोदित मेक-मॉडल के ही हों। किसी भी भ्रम की स्थिति में तत्काल मुख्यालय को सूचित किया जावे।
 - (ब) प्रदायकों द्वारा निर्धारित मापदण्ड एवं गुणवत्ता के यंत्र प्रदाय करना आवश्यक है। परिवहन के दौरान यदि यंत्र में किसी प्रकार की टूट फूट होती है तो जिला प्रबंधक यंत्र प्राप्त करने से पूर्व ट्रान्सपोर्टर से डेमेज प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुये वांछित सुधार हेतु प्रदायक को सूचित करेंगे। यंत्र वांछित गुणवत्ता के न होने की दशा में कन्साइनमेंट को अमान्य करते हुये प्रदायक को वापिस किया जावेगा, जिसका परिवहन व्यय प्रदायक द्वारा वहन किया जावेगा।
 - (स) प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर प्रदायक के विरुद्ध आर.सी.ओ. की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सकती है।
5. **सामग्री की प्रदायगी :** प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।
 - (अ) जिला प्रबंधक द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि केता विभाग को सामग्री का प्रदाय निगम के चालान पर किया जावे।
 - (ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।
 - (स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।
6. **देयक पर निगम का जी.एस.टी नम्बर :** प्रदायक द्वारा प्रस्तुत देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330QIZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का स्पष्ट उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST की राशि का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिटर्न GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदनुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक से वसूल की जावेगी।
7. **अनुबंध :**
 - (अ) निगम के माध्यम से प्रदाय की जा रही सामग्री की दरों एवं बाजार में प्रचलित दरों में एकरूपता हो, इस संबंध में निर्माता से बाजार में उनके यंत्रों की दरें समतुल्य रहने संबंधी स्टाम्प पेपर पर अंडर टेकिंग प्राप्त की गयी है। अतः कृपया अनुमोदित प्रदायक की बाजार में प्रचलित दरों की अधिकृत जानकारी रखें एवं समय-समय पर मुख्यालय को अवगत करावें।

(ब) निगम द्वारा निर्माता कम्पनी के साथ जो अनुबंध निष्पादित किया गया है के आधार पर निगम निर्माता कम्पनी से प्राप्त सामग्री की गुणवत्ता की जांच करने हेतु अधिकृत है एवं प्राप्त कन्साईनमेंट का विधिवत सम्मेल लेते हुये क्वालिटी काउन्सिल ऑफ इण्डिया भारत सरकार द्वारा अधिकृत किसी भी संस्था द्वारा कराया जा सकता है। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

8. **भुगतान :** (अ) प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरान्त संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, फोटोग्राफ एवं निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने पर "भुगतान पश्चात् भुगतान" की शर्त पर तथा थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा विधिवत रूप से निगम मार्जिन एवं समस्त कर कटौती उपरान्त किया जावेगा।

(ब) यदि सामग्री का प्रदाय शासकीय विभागों की विभिन्न अनुदान योजनाओं में अनुदान पर प्रदाय किया जाता है तो ऐसी स्थिति में कृषक अंशराशि एवं अनुदान राशि प्राप्त होने के उपरान्त ही भुगतान किया जावेगा। मात्र कृषक अंशराशि प्राप्त होने पर कृषक अंश राशि का भुगतान न किया जावे।

9. **समय सीमा में सामग्री प्रदाय न करने पर शास्ति (पेनाल्टी)** - प्रदायक द्वारा निर्धारित समय सीमा में सामग्री प्रदाय न किये जाने की दशा में निम्नानुसार शास्ति (पेनाल्टी) अधिरोपित की जावेगी :-

कं.	सप्ताह	शास्ति (पेनाल्टी) की दर कुल प्रदायगी की राशि पर
1	प्रथम से द्वितीय सप्ताह तक	0.25% प्रति सप्ताह
2	तृतीय से चतुर्थ सप्ताह तक	0.50% प्रति सप्ताह
3	प्रदायक द्वारा प्रदाय से मना किये जाने की स्थिति में	प्रदायक का प्रदाय आदेश निरस्त करते हुए उनके द्वारा किये गये अनुबंध को बरखास्त करते हुए 1 से 5 वर्ष के लिए कालीसूची (ब्लैकलिस्ट) किया जावेगा।

10. **सामग्री की वारण्टी :** प्रदाय किये जा रहे सभी यंत्रों पर वारण्टी प्रदाय दिनांक से 1 वर्ष मैन्युफेक्चरिंग डिफेक्ट पर रहेगी। वारण्टी अवधि में रिपेयर, मेन्टेनेंस का कार्य कम्पनी द्वारा शिकायत प्राप्त होने की दिनांक से 07 दिवस के अन्दर किया जावेगा।

11. **दरों की एक मात्र मान्यता :** अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

12. **अन्य नियम एवं शर्तें :** उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्तें मुख्यालय द्वारा ISI MARKED/TESTED PLANT PROTECTION EQUIPMENTS, ISI MARKED FERTILIZER BROADCASTER & HAND ROTARY DUSTER (PPE) के प्रदाय हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 30.09.2024 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से ISI MARKED/TESTED PLANT PROTECTION EQUIPMENTS, ISI MARKED FERTILIZER BROADCASTER & HAND ROTARY DUSTER (PPE) की उपरोक्त मदों के लिए जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रतिलिपि :-
3141
04-12-24

प्रबंधक (विपणन)
4.12.2024
नितिन मोहपात्रकर

1. सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल।
3. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी-ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
5. संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, छठवीं मंजिल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
6. प्रबंध संचालक, म.प्र.राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, अरेरा हिल्स, भोपाल।
7. आयुक्त, रेशम विभाग, प्रथम तल - सतपुड़ा भवन, भोपाल।

8. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मप्र. वन भवन, तुलसी नगर, लिंक रोड नम्बर-2, भोपाल।
9. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
10. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
11. विभागाध्यक्ष (समस्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
12. कम्प्यूटर कक्ष, मुख्यालय, भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र निगम की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
13. **M/S PADGILWAR AGRO INDUSTRIES**, OPP. AGYARAM DEVI MANDIR, BUS STAND ROAD, GANESHPETH, NAGPUR - 440018 की ओर सूचनार्थ भेजकर लेख है कि सामग्री प्रदाय किये जाने की दशा में यह मान्य किया जावेगा की वह उपरोक्त समस्त शर्तों से सहमत है। सामग्री के प्रदाय से संबंधित देयक निगम के जिला प्रबंधक को जारी करते समय देयक पर इस आशय का उल्लेख अवश्य किया जावे की देयक के विरुद्ध प्रदाय की जा रही सामग्री निगम के आर.सी.ओ. के अनुसार निर्धारित मापदण्ड एवं गुणवत्ता की है। प्रदायक का दायित्व होगा कि अनुबंध अवधि में सामग्री से संबंधित **BIS** लायसेंस वैध रहे, यह सुनिश्चित किया जावे।


प्रबंधक (विपणन)

4.12.2024

नितिन मोहगांवकर -
प्रबंधक (...)